शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 48 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 24 – 1 दिसम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत भूमि आबंटन नहीं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में दून के विधायक राम कुमार द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में कस्टमाइज्ड पैकेज के अंतर्गत किसी भी उद्यमी को भूमि आवंटित नहीं की गयी है। हालांकि, बद्दी और नालागढ़ के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य औद्योगिक नीति-2019 के नियम 25(3) के अनुसार केबिनेट सब-कमेटी की 3 दिसम्बर 2021 की बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर तीन बड़ी औद्योगिक इकाइयों को भूमि आबंटित की गई है। यह आबंटन राष्ट्रीय महत्व, निवेश एंव रोजगार सृजन को देखते हुये किया गया।

सरकार ने बताया कि इन इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर एंव 250 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर 95 वर्ष की लीज पर भूमि उपलब्ध करवाई गयी है। भूमि का कब्जा केवल तभी दिया जाता है जब प्लाट सभी बाधाओं से मुक्त हो। राज्य औद्योगिक नीति के अनुसार सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को दो वर्ष तथा बड़े उद्योगों को तीन वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू करना होता है। विशेष परिस्थितियों में तीन वर्ष तक अतिरिक्त विस्तार की अनुमति दी जा सकती है।

1. श्रीयुत किनवन प्राइवेट लिमिटिड

नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र पलासरा में स्थापित किनवन प्राइवेट लिमिटेड को 850 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ए.पी.आई.(पोटेशियम कार्बोनेट) उत्पादक इकाई जिसमें 475 रोजगार प्रस्तावित हैं 300 बीघा भूमि एक रुपये प्रति वर्गमीटर दर पर दी गई थी।

कंपनी ने 30 मार्च 2024 को उत्पादन शुरू कर दिया है और अब तक 506 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इकाई में 325 लोगों को रोजगार मिला है जिनमें 270 हिमाचली शामिल हैं। कंपनी ने वर्ष 2024-25 में 32.08 करोड़ रुपये जीएसटी भुगतान किया है।

2. श्रीयुत एसएमपीपी एम्यूनिशन प्राइवेट लिमिटिड:

नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र लखनपुर में गोला-बारूद और रक्षा उत्पाद बनाने वाली इकाई एसएमपीपी को 3000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर 800 एकड़ भूमि एक रुपये प्रति वर्गमीटर दर से दी गई है।

कंपनी को भूमि का कब्जा 4 अक्तूबर 2022 को मिला था, पर पेड़ों की कटान में देरी और बीबीएनडीए से आवश्यक स्वीकृतियां समय पर न मिलने के कारण परियोजना गति नहीं पकड़ सकी।

अब बीबीएनडीए ने जुलाई 2025 में सी.एल.यू. स्वीकृति प्रदान की है और अब तक 12 भवन तैयार हो चुके हैं, जबकि 36 भवनों के नक्शे हाल ही में स्वीकृत हुये हैं जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.श्रीयुत इंडो फार्म इक्यूपमेंट लिमिटिड:

इंडो फार्म को 510 करोड़ रुपये के निवेश पर दो स्थानों मल्कूमाजरा (भूड), बद्दी में 30 एकड़ भूमि 250 रूपये प्रतिवर्गमीटर, मंडयारपुर (किरपालपुर) नालागढ़ में 30 एकड़ भूमि एक रूपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटित की गई। कंपनी द्वारा 3360 रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है।

मल्कूमाजरा क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जों, झुग्गियों और रत्ता खड्ड में अवैध खनन के कारण कब्जा देने में देरी हुई। उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। तटीयकरण कार्य जारी रहने के कारण पूर्ण भूमि हस्तांतरण अभी लंबित है।

किरपालपुर में अवैध कब्जा हटाने के बाद 12 जून 2025 को भूमि का कब्जा दिया गया। कंपनी ने चारदीवारी का कार्य पूरा कर लिया है। कुछ हिस्सों में पेड़ों की कटान की अनुमति वन विभाग ने जारी की है और आगे की कारवाई प्रगति पर है।

सरकार ने सदन को बताया कि राज्य औद्योगिक नीति-2019 के नियम 6.7(B) के अनुसार बड़े उद्योगों को तीन वर्ष में उत्पादन शुरू करना अनिवार्य है, जबकि विशेष परिस्थितियों में तीन वर्ष तक का विस्तार दिया जा सकता है।

हिमाचल को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ की सहायता अब तक नहीं मिली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आपदा राहत पैकज पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में प्रदेश सरकार ने मानसून 2025 की आपदा राहत और केंद्र से प्राप्त सहायता से जुड़े नवीनतम आंकड़े जारी किये हैं। सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 9 सितम्बर 2025 को घोषित 1500 करोड़ रुपये की विशेष सहायता राशि राज्य को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। यह घोषणा प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित हुई थी।

सरकार के अनुसार पिछले तीन वर्षों (31 अक्तूबर 2025 तक) 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत भारत सरकार से 3451.43 करोड़ रुपये तथा प्रदेश सरकार द्वारा 769.82 करोड़ रुपये कुल 4221.25 करोड़ रुपये आपदा जोखिम प्रबंधन के लिये जारी किये गये।

इनमें विभिन्न राहत कार्यो के लिये निर्धारित 3686.10 करोड़ रुपये में से 3345.02 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं और 341.08 करोड़ रुपये शेष हैं।

करसोग विधायक दीप राज के प्रश्न के उत्तर में विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में 34.63 करोड़ रुपये आपदा राहत के लिए स्वीकृत किये गये, जिनमें से 31.30 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

गांव महोग के लिये वर्ष 2023-24 में 18 मामलों में 1,99,500 रुपये (SDRF/NDRF) तथा 18,80,500 रुपये विशेष राहत

शेष पृष्ठ 8 पर........

वन, पशु, रोगी और बिजली मित्रों का नियमितीकरण संभव नही

शिमला/शैल। विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि वन मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र और बिजली उपभोक्ता मित्रों को नियमित करने का कोई प्रावधान संबंधित योजनाओं और नीतियों में मौजूद नहीं है। सरकार ने कहा है कि ये सभी नियुक्तियां अस्थायी या आउटसोर्स आधार पर ही की जा रही हैं।

सरकार ने बताया कि वन विभाग में नियुक्त वन मित्रों को ठण्डा योजना के तहत केवल अस्थायी आधार पर रखा गया है। योजना में नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है और इन्हें निश्चित मासिक मानदेय दिया जाएगा।

14 अगस्त 2025 को अधिसूचित पशु मित्र नीति-2025

शेष पृष्ठ 8 पर........

वित्त एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से की भेंट

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा HPF&AS के

30 प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। ये अधिकारी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान MSHIPA में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

राज्यपाल ने अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लोक सेवा में अधिकारों से अधिक जिम्मेदारियां महत्त्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने सभी कार्यो में जनहित, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सलाह दी।

शुक्ल ने उम्मीद जताई कि नए अधिकारी राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि पेशेवर दृष्टिकोण और सेवाभाव ही प्रशासन को प्रभावी बनाते हैं।

इस अवसर पर पाठयक्रम निदेशक दिनेश शर्मा ने राज्यपाल को प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना से अवगत करवाया, जबकि MSHIPA की निदेशक रूपाली ठाकुर ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद क्वालीफाइंग परीक्षा पास करने पर ही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी मौजूद रहे।

राज्यपाल ने गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में भाग लिया

शिमला/शैल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर आये राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी

शुक्ला ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में भाग लेते हुए अपने फॉर्म भरे। इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) से बातचीत कर पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की जानकारी ली।

राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदाता सबसे मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर पात्र नागरिक का मतदाता सूची में शामिल होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है।

शुक्ल ने युवाओं, महिलाओं, नव-पात्र मतदाताओं और हाल ही में स्थानांतरित हुए लोगों से अभियान का लाभ उठाकर स्वयं को मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि मताधिकार प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के भविष्य के निर्धारण में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है, इसलिये किसी भी पात्र व्यक्ति को सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए।

नौणी विश्वविद्यालय ने मनाया 41वां स्थापना दिवस

शिमला/शैल। डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने अपना 41वां स्थापना दिवस नवाचार, विविधीकरण

और पहाड़ी कृषि के लिये भविष्य उन्मुख समाधानों पर केंद्रित संकल्प के साथ मनाया। डॉ.एल.एस. नेगी सभागार में आयोजित समारोह में कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रसिद्ध शिक्षाविद् और आईआईटी कानपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार स्टोक्स ने विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य वक्तव्य दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत कुलसचिव सिद्धार्थ आचार्य के स्वागत संबोधन से हुई, जिन्होंने विश्वविद्यालय की 1962 में सोलन के कृषि महाविद्यालय से शुरू हुई समृद्ध यात्रा और प्रदेश के पहाड़ी किसानों को सशक्त बनाने में निभाई गई इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

अपने संबोधन में कुलपति प्रो. चंदेल ने विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे डॉ. यशवंत सिंह परमार की दूरदर्शिता को याद किया और कहा कि एशिया के पहले औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ने देशभर में ऐसे संस्थानों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों ने हिमाचल प्रदेश को बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। उन्होंने किसानों के साथ वैज्ञानिक संवाद को और मजबूत करने, फलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा जलवायु-सहिष्णु और किफायती तकनीकों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य वक्ता डॉ. विजय स्टोक्स ने अपने संबोधन में सेवानिवृत्ति के बाद एक सक्रिय किसान बनने की प्रेरक यात्रा साझा की। उन्होंने हार्मनी हॉल ऑर्चर्ड्स के पुनरोद्धार के अनुभव और वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत किये। उन्होंने युवा शिक्षकों से परंपरागत सोच से आगे बढ़कर नवाचार अपनाने का आग्रह किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल शिक्षा प्रणाली विकसित करने की जरूरत बताई।

स्थापना दिवस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय ने पांच प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, जिनमें कर्नल प्रकाश चंद राणा (कांगड़ा), आशीष सिंह राणा (ज्वाली), अनूप भलैक (कोटगढ़), सनी चौहान (रोहड़ू) और ओम प्रकाश (दिलमन) शामिल रहे। इसके अलावा, शिक्षण, गैर-शिक्षण, तकनीकी, सहायक और संबद्ध श्रेणियों में उत्कृष्ट कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। स्वच्छता सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए मीरा शर्मा और ओम प्रकाश को विशेष सम्मान मिला।

दिनभर चले कार्यक्रम में सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें गैर-शिक्षण कर्मचारियों की टीम विजयी रही।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, सीनेट और परिषदों के सदस्यों, प्रगतिशील किसानों, छात्रों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल को दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा

जिले के पटियालखर गांव पहुंचकर दुबई एयर शो के दौरान हुए हादसे में शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ने एक साहसी व कर्तव्यनिष्ठ पायलट को खो दिया है, जिसका बलिदान सदैव स्मरण रहेगा। उन्होंने शोकग्रस्त परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, एचपीटीडीसी के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, विधायक कमलेश ठाकुर और सुरेश कुमार भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे।

धर्मशाला में कर्मचारी पेंशनर्स की हुंकार, सुक्खू सरकार को खुली चेतावनी

शिमला/शैल। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में प्रदेश भर से पहुंचे हजारों पेंशनर्स और कर्मचारियों ने

सुक्खू सरकार की नीतियों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अगुवाई में आयोजित इस रैली में विभिन्न कर्मचारी पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए।

रैली में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, समय पर पेंशन वेतन, डीए किस्तों और मेडिकल बिलों के भुगतान जैसे वादे चुनावों के दौरान किए थे, लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए। पेंशनर्स नेताओं का कहना था कि सरकार की आर्थिक नीतियों और देरी से लिए जा रहे फैसलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उपचार तक प्रभावित हो रहा है।

घनश्याम शर्मा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल पर बढ़ते कर्ज़ का हवाला देकर कर्मचारियों के लंबित भत्तों और स्वास्थ्य योजनाओं पर कटौती की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हिमकेयर योजना की धीमी प्रक्रिया और बिलों के अटके होने से पेंशनर्स का उपचार संकट में पड़ गया है।

वक्ताओं ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि रैली का स्थल ज़ोरावर स्टेडियम से बदलकर पुलिस ग्राउंड करना सरकार की घबराहट और कर्मचारी विरोधी रवैये को दर्शाता है।

नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने लंबित डीए किस्तों, वेतन पेंशन, मेडिकल बिल भुगतान और ओपीएस से जुड़े मुद्दों पर तुरंत निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने आगामी दिनों में राज्यव्यापी कार्यक्रमों की तैयारी का संकेत भी दिया। घनश्याम शर्मा ने कहा कि यह संघर्ष किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के अधिकारों व सम्मान के लिए है। उन्होंने सभी संगठनों से एकजुट और अनुशासित रहकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अधीक्षक वीरेन्द्र ठाकुर सेवानिवृत्त, विभाग में भावपूर्ण विदाई समारोह

शिमला/शैल। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अधीक्षक ग्रेड-1 वीरेन्द्र ठाकुर सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर निदेशालय में एक सादगीपूर्ण किंतु भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित किया गया।

वीरेन्द्र ठाकुर ने 28 जनवरी 1987 को क्लर्क के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। करीब 39 वर्षों की लंबी अवधि में उन्होंने ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ विभाग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। विभिन्न शाखाओं में कार्य करते हुए उन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके कार्य व्यवहार, दक्षता और जिम्मेदारियों को सहजता से निभाने की क्षमता के कारण वे विभाग के विश्वसनीय और सम्मानित अधिकारी रहे।

अतिरिक्त निदेशक महेश पठानिया ने उनके लंबे सेवाकाल

की सराहना करते हुए उन्हें स्वस्थ, प्रसन्न और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दीं। विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वीरेन्द्र ठाकुर को शांतिपूर्ण और आनंदमय भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

देवभूमि में चिट्टा माफिया पर सख्त सरकार सूचना देने वालों को लाखों का इनाम: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में दाड़ी ग्राउंड से पुलिस ग्राउंड तक आयोजित एंटी-चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूलों के विद्यार्थी,

स्वयसेवी संगठन और आम लोग शामिल हुए। बच्चों ने पूरे मार्ग में नशा विरोधी नारे लगाकर माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। मुख्यमंत्री भी वॉकथॉन में विद्यार्थियों के साथ पैदल चलते रहे और विभिन्न स्थानों पर उनसे संवाद कर नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

पुलिस ग्राउंड पहुंचकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने चिट्टा माफिया पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि देवभूमि में नशा तस्करी के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्षों से लंबित पड़े पीआईटी और एनडीपीएस अधिनियम को मौजूदा सरकार ने प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसके तहत अब तक 46 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और 46 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया की रीढ़ तोड़ने और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से सहयोग का आग्रह किया और चिट्टा तस्करी की सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया। दो ग्राम तक की सूचना पर 10 हजार रुपये, पांच ग्राम पर 25 हजार रुपये, 25 ग्राम पर 50 हजार रुपये, एक किलो पर 5 लाख रुपये और एक किलो से अधिक चिट्टा पकड़े जाने की सूचना पर 10 लाख रुपये तक के इनाम की घोषणा की गयी। बड़े गिरोहों की सूचना देने वालों के लिये पांच लाख रुपये से अधिक पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि चिट्टे से संबंधित किसी भी जानकारी के लिये प्रदेश सरकार ने 112 को विशेष सूचना नंबर के रूप में अधिसूचित किया है।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। वहीं गुब्बारों और पैराग्लाइडर के माध्यम से चिट्टा के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए।

इस मौके पर कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, एचपीटीडीसी अध्यक्ष आर.एस. बाली, वरिष्ठ अधिकारी, विधायक और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे।

नशा मुक्ति अभियान केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से कुलपति ने की एकजुट होने की अपील

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने परिसर-एक में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ संगठित होने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि नशा

धीरे-धीरे इंसान की सोच, सेहत, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देता है। शुरुआत भले ही तजुर्बे या मज़े के लिए हो, लेकिन इसका अंत अक्सर बीमारी, खतरे और पछतावे में होता है।

कुलपति ने बताया कि नशा शरीर के दिल, दिमाग और फेफड़ों पर गंभीर असर डालता है, आत्मविश्वास कम करता है और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। यह आदत नहीं, बल्कि खतरनाक लत बन जाती है, जिससे बाहर निकलना कठिन होता है।

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि नशे से बचने के लिए सही संगति का चयन करें। अच्छे दोस्त वही हैं, जो गलत राह से दूर रखें, न कि धकेलें। तनाव की स्थिति में नशे की ओर न जाकर खेल, योग, संगीत और बातचीत जैसे विकल्प अपनाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई साथी नशे की समस्या से जूझ रहा हो, तो उसकी उपेक्षा न करें, बल्कि उसे सहायता के लिए प्रेरित करें।

प्रो.बंसल ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में जल्द ही एक सुझाव पेटी लगाई जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी नशे के उपयोग या इससे जुड़ी गतिविधियों की सटीक जानकारी देता है, तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और सूचना सत्य पाये जाने पर उसे नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शोधार्थी और संकाय सदस्य शामिल हुए। इससे पहले नशा मुक्ति दिवस पर धर्मशाला, शाहपुर और देहरा परिसरों के लगभग 1100 विद्यार्थियों ने रैली में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में पशुपालन विभाग के उप-निदेशक कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। 3.21 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक भवन कांगड़ा जिला के पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में दूध के मूल्य में 21 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जिससे पशुपालकों की आय में सीधा लाभ पहुंचा है। दूध के परिवहन अनुदान को भी 1.50 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित दूध खरीद केंद्रों तक दूध पहुंचाने वाले किसानों को सरकार 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर रही है। सरकार के इन निर्णयों से पशुपालकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में मदद मिल रही है, मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि

कांगड़ा जिले के ढगवार में 1.50 लाख लीटर क्षमता का आधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा शिमला जिले के दत्तनगर स्थित संयंत्र की क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण व्यवस्था और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते मिल्कफेड की दूध खरीद पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। पूर्व सरकार के समय मिल्कफेड प्रतिदिन केवल 90,000 लीटर दूध खरीदता था, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है, उन्होंने बताया।

कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, विधायक सुरेश कुमार, वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी व राम चंद्र पठानिया, पशुपालन सचिव रितेश चौहान, निदेशक संजीव कुमार धीमान, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

शिमला में स्ट्रोक जागरूकता वॉकथॉन बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी

शिमला/शैल। शिमला में आयोजित ब्रेन स्ट्रोक अवेयरनेस वॉकथॉन में लगभग 500 लोगों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम पंचकूला स्थित एल्केमिस्ट ओजस हॉस्पिटल द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्ट्रोक के शुरुआती

लक्षणों की पहचान और समय पर चिकित्सा सहायता के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना था।

इवेंट में शिमला के मेयर सुरिंदर चौहान, डिप्टी मेयर उमा कौशल और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र नरेश चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने स्ट्रोक प्रबंधन के लिए समय पर एक्शन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, एल्केमिस्ट ओजस हॉस्पिटल की इस पहल की सराहना की।

कार्यक्रम के दौरान एल्केमिस्ट ओजस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉ.गौरव जैन, सीनियर कंसल्टेंट ब्रेन एवं स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉ. प्रशांत मसकारा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉ. इकबाल सिंह और एसोसिएट डायरेक्टर, न्यूरोसर्जरी विभाग डॉ. मनीष बुद्धिराजा ने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, प्रबंधन और नवीनतम उपचारों की जानकारी साझा की।

डॉ. गौरव जैन ने कहा कि जीवनशैली में बेहतर बदलाव और नियमित स्वास्थ्य जांच स्ट्रोक के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वहीं, एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की सीएफओ सोफिया मिश्रा ने वॉकथॉन को मिले उत्साहपूर्ण प्रतिसाद को सराहते हुये कहा कि प्रतिभागियों की ऊर्जा और प्रतिबद्धता ने इस जागरूकता अभियान को सफल बनाया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय में ब्रेन स्ट्रोक के प्रति जागरूकता को और अधिक मजबूत करना था, जिसे प्रतिभागियों की भारी उपस्थिति ने सार्थक बनाया।

मुख्य सचिव ने टांडा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया

मरीज सेवाओं और ढांचे को सुदृढ़ बनाने पर बल

शिमला/शैल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा

का दौरा कर संस्थान की कार्यप्रणाली और मरीज सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। उनके साथ पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने प्राचार्य एवं फैकल्टी सदस्यों के साथ बैठक कर संस्थान से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों और आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य सचिव, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं तथा निदेशक चिकित्सा शिक्षा के साथ समन्वय स्थापित कर इन मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि महाविद्यालय की अधोसंरचना, चिकित्सा सेवाओं और मरीज देखभाल को और मजबूत बनाया जा सके।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने शल्य चिकित्सा विभाग, हाई डिपेंडेंसी यूनिट और प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्ड का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर मेडिकल सुविधाओं, उपचार व्यवस्था और विभिन्न यूनिटों के संचालन के बारे में जानकारी ली।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने संस्थान के विभागों, उपलब्धियों और चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की।

अधिकारियों ने कहा कि मरीज सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और टांडा मेडिकल कॉलेज को क्षेत्र के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र के रूप में और सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाएंगे।

विविधता में एकता प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा होगी।

'......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

आपदा की घटनाएं प्रकृति का प्रहार या प्रशासन की चूक

हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों के बीच बसा यह प्रदेश हमें लगातार यह याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्तियों के सामने मानव की गतिविधियां कितनी असहाय हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में हाल की बरसात और बादल फटने जैसी घटनाओं ने लाखों लोगों की जान-माल को हानि पहुचाई है। इस विनाश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि समय रहते पर्यावरणीय नीतियों का पालन नहीं हुआ, तो हिमाचल का भविष्य गंभीर संकट में है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल प्रदेश की पर्यावरणीय स्थितियों को लेकर चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि पर्यावरणीय सुधार और निर्माण मानकों के पालन में सुधार नहीं हुआ, तो प्रदेश मानचित्र से गुम हो सकता है।

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में हुई बारिश और उससे जुड़े भू-स्खलन तथा नदी मार्गो के परिवर्तन ने प्रदेश की संवेदनशीलता को उजागर किया। हिमाचल प्रदेश के निर्माणाधीन क्षेत्रों में रिटेंशन पॉलिसी और भवन मानकों की बार-बार अवहेलना ने विनाश की संभावना को और बढ़ा दिया है। शिमला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हल्के भूकंप के झटके में हजारों लोगों की जान जाने का खतरा सर्वोच्च न्यायालय और एन.जी. टी. की रिपोर्टो में साफ़ दर्शाया गया है। बावजूद इसके, कई बार रिटेंशन पॉलिसी को बदलना, बेसमेंट और ऐटीक जैसे नियमों में संशोधन करना और अनियंत्रित निर्माण को अनुमति देना प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारी की गंभीर अवहेलना है।

भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत गैर-कृषक व्यक्तियों को जमीन खरीदने की अनुमति सीमित है। बावजूद इसके, कई सरकारों ने इस प्रावधान का दुरुपयोग किया और बड़े पैमाने पर भूमि की बिक्री और औद्योगिक उपयोग के लिये अनियमित मंज़ूरी दी। परिणामस्वरूप, जलवायु और भू-परिवर्तन की संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में असंतुलित निर्माण हुआ जिसने प्रदेश के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित किया। विशेष रूप से, चंबा और मंडी में भारी नुकसान, यह दर्शाता है कि जलवायु और मानवीय गतिविधियों के बीच संतुलन बिगड़ा है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक और नीति-निर्माण की असफलता का परिणाम भी है। हिमाचल के हर जिले में आपदा के प्रभाव का पैमाना बढ़ा है और यह चेतावनी देता है कि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गये, तो आने वाले वर्षों में नुकसान और बढ़ सकता है।

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा की घटनाएं नई नहीं हैं। 1977 से औद्योगिकीकरण और पन विद्युत परियोजनाओं की दिशा में नीतियां बनाई गई। औद्योगिक सब्सिडी के बहाने भूमि की हड़प और पर्यावरण मानकों की अनदेखी ने बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक असंतुलन पैदा किया। किन्नौर और मंडी में स्थानीय विरोध के बावजूद परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। इसके साथ ही पर्यटन और धार्मिक स्थलों का अति-विकास भी पर्यावरणीय संतुलन के लिये खतरा बन गया।

यह स्पष्ट है कि यदि समय रहते सतत पर्यावरणीय प्रबंधन और कड़े निर्माण मानकों का पालन नहीं किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी केवल चेतावनी नहीं रह जाएगी, बल्कि वास्तविकता बन जाएगी। हाल की घटनाओं ने यह भी संकेत दिया कि हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और बड़े बुनियादी ढांचागत विकास की नीति पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। पहाड़ी प्रदेशों में मैदानों जैसी नीतियां और तीव्र औद्योगिकीकरण विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। यदि पर्यटन और औद्योगिक परियोजनाएं पर्यावरणीय संतुलन के अनुरूप नहीं होंगी, तो विनाश की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

हिमाचल की स्थिति केवल वर्तमान सरकार की विफलता नहीं है। यह दशकों से चली आ रही नीति, निर्माण और प्रशासनिक दृष्टिकोण की असफलता का परिणाम है। इसलिये यह समय है जब सरकार और प्रशासन को सतर्क होकर हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिये ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।

"ऑपरेशन मार्टरडम" को इस्लाम के साथ जोड़ना नबी के उम्मत के साथ नाइंसाफी है

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में बीते 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास हुआ भयावह आतंकवादी हमला दिल और दिमाग को झकझोर देने वाला था। इस कायराना और निंदनीय कृत्य में 14 निर्दोष लोगों की जान चली गई। स्वाभाविक रूप से कई परिवार उजड़ गए और करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जो न जाने कब तक इस आघात से जूझते रहेंगे।

इस भयावह घटना के बाद समाचार माध्यमों से आई जानकारियों ने मन को और विचलित कर दिया। यदि हमारी पुलिस और एजेंसियाँ समय पर कार्रवाई न की होती और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद न करतीं, तो पता नहीं ये सिरफिरे लोग क्या करते। इस आतंकी घटना का सबसे नकारात्मक पक्ष पढ़े-लिखे लोगों का इसमें शामिल होना है। इस घटना के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी का वीडियो सामने आया तो ऐसा लगा कि गलतफहमी का शिकार अनपढ़ लोग ही नहीं हैं, बल्कि एक पढ़ा-लिखा तब का भी है जो धर्म की गलत व्याख्या का शिकार हो गया है। वीडियो में उमर ने फिदायीन हमलों को ऑपरेशन शहादत या ऑपरेशन मार्टरडम कहकर उसका महिमामंडन करता दिख रहा है। दरअसल, इस प्रकार की घटना को तार्किक बनाने के लिए ऐसे तर्क गढ़ लिए जाते हैं। आतंकवादी संगठन जानबूझकर अपनी घृणित और कायराना हरकतों को इस्लामी शब्दावली के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। वे इस्लाम की दया, शांति और सुरक्षा पर आधारित स्पष्ट शिक्षाओं को विकृत कर अपने नापाक मकसद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि आजतक किसी भी आतंकवादी समूहों के नुमाइंदों ने कभी इस्लाम या मुसलमानों को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है। इसके बजाय उन्होंने नुकसान ही पहुंचाया है और दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों की छवि को धूमिल किया है। हैरानी की बात यह है कि ये संगठन अपनी गुमराह और इस्लाम-विरोधी विचारधारा को उन युवाओं पर थोपते हैं जिन्हें इस्लामी शिक्षाओं का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। वे गैर-मुस्लिम देशों ही नहीं, बल्कि मुस्लिम देशों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ते। इस मामले में बरेलवी फिरके के विद्वान मुफ्ती मौलाना तुफैल खान बताते हैं कि "इस प्रकार के सिरफिरे नौजवान सबको निशाना बनाते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या को जिहाद या शहादत कहते हैं, जबकि इस्लाम और कुरान की स्पष्ट शिक्षाएं उनकी इस गलत विचारधारा को पूरी तरह खारिज करती हैं। इस्लाम में निर्दोष की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है।"

यहां एक और बात बता दें कि "जो लोग ऑपरेशन शहादत/ ऑपरेशन मार्टरडम जैसी विचारधारा फैलाते हैं, वे हमेशा अपनी जान बचाते हैं। वे स्वयं कभी फिदायीन नहीं बनते। वे हमेशा उन युवाओं को चुनते हैं जिन्हें इस्लाम की शिक्षाओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता जैसा कि डॉक्टर उमर ने स्वयं वीडियो में स्वीकार किया है।"

डॉ उमर एक आधुनिक, शिक्षित व्यक्ति था। उसकी बहन ने बताया कि वह गरीब परिवार से था और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर बना। उसके परिवार ने उम्मीद की थी कि अब उनके संघर्ष के दिन समाप्त होंगे लेकिन आतंकवादी सरगनाओं ने अपनी चालों से उसे गुमराह कर दिया। इस्लाम का गलत अर्थ समझाकर उसके दिमाग को भ्रमित किया। निर्दोष लोगों की हत्या कर उसने न केवल कई परिवारों को तबाह किया, बल्कि खुद के लिए नरक का रास्ता भी चुन लिया।

दरअसल, इस्लामिक जगत में ऑपरेशन शहादत/ऑपरेशन मार्टरडम की शुरुआत करने वाला व्यक्ति ओसामा बिन लादेन को माना जाता है। उससे पहले इस्लाम में आत्मघाती या फिदायीन हमलों की कोई मिसाल नहीं मिलती। कई लड़ाइयां हुई, लेकिन कहीं आत्मघाती हमला नहीं हुआ। ओसामा ने इस गुमराह करने वाली विचारधारा का प्रचार किया, लेकिन वह स्वयं कभी ऐसे हमलों में शामिल नहीं हुआ। उसने हमेशा दूसरों को उकसाया। इस्लाम में एक स्पष्ट हदीस है कि धर्म में नया बनाया गया हर काम जो उसका हिस्सा नहीं है, वह अस्वीकार्य है। यानी उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं।

आज भी आतंकवादी संगठन मासूम और धार्मिक रूप से अनभिज्ञ युवाओं को फंसाते हैं। डॉ. उमर भी किसी और को फिदायीन हमले के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन जब किसी ने साथ नहीं दिया और उसे पता चला कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं, तो जल्दबाज़ी में उसने खुद को उड़ा लिया। अब देखते हैं वे पवित्र कुरानी आयतें जिन्हें आतंकवादी नेता संदर्भ से हटाकर युवाओं को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मौलाना तुफैल बताते हैं कि निर्दोषों की हत्या को सही ठहराने के लिए आतंकवादी सूरह 2 की आयत 154 और सूरह 9 की आयत 111 का गलत अर्थ निकालते हैं लेकिन कुरान में कई आयतें हैं जो उनके गढ़े हुए अर्थो का खंडन करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण, सूरह 2, आयत 155 स्वयं उनके गलत अर्थ का खंडन करते हैं। आयत 155 कहता है कि "अल्लाह विश्वासियों की परीक्षा लेगा-डर, भूख, धन की कमी, जान का नुकसान, और खेती में हानि के माध्यम से-लेकिन सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी है। जन्नत सब्र पर मिलती है-किसी की हत्या या बदला लेने पर नहीं।" सूरह 5, आयत 32 कहती है, जो किसी एक निर्दोष की हत्या करता है, वह मानो सारी मानवता की हत्या करता है। सूरह 4, आयत 29 कहती है, अपने आप को मत मारो। सूरह 2, आयत 195, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आपको विनाश में मत डालो। सूरह 7, आयत 56, धरती पर फसाद मत करो। सूरह 6, आयत 108, जिन्हें वे अल्लाह के अलावा पूजते हैं, उनका अपमान मत करो।

कई इस्लामिक विद्वानों ने साफ तौर पर कहा है कि इन सभी आयतों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम निर्दोषों की हत्या की अनुमति नहीं देता। आत्मघाती हमले पूरी तरह इस्लाम-विरोधी हैं। जो लोग कुरानी आयतों को तोड़-मरोड़कर युवाओं को गुमराह करते हैं, वे कुरआन द्वारा ही खारिज किए जाते हैं। वे अपने उद्देश्यों के लिए आतंक और भय फैलाते हैं, लेकिन वे मानवता-विशेषकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बड़ा अपराध करते हैं। इस्लाम का ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं, और उनकी हरकतों से मुसलमानों को कभी कोई लाभ नहीं मिला-सिर्फ नुकसान हुआ है।

ध्यान देने की बात है कि जो धर्म दूसरों के धर्मो का अपमान करने से भी रोकता है, वह निर्दोषों की हत्या या दुनिया में फसाद फैलाने की कैसे अनुमति दे सकता है? इस्लाम में युद्ध के समय भी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुंचाने की मनाही है। पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिसने प्यासे बिल्ली को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई, उसे जन्नत की खुशखबरी दी गई, तो फिर निर्दोषों की हत्या जन्नत कैसे दिला सकती है? इसलिए बिनाकलतब हत्या एक गुनाह है। इस इस्लाम की अंग नहीं माना जाना चाहिए।

भारत की श्रम संहिताएं एक सुसंगत और आधुनिक नियामक ढांचे की ओर

विद्या सौंदरराजन

दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारत में श्रम कानूनों का जाल अत्यधिक जटिल और खंडित हो गया है। सरकार ने इसकी सिफारिशों पर अमल करते हुए, पिछले सप्ताह वेतन 2019, औद्योगिक संबंध 2020, सामाजिक सुरक्षा 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा ओएसएचडब्ल्यू 2020 पर चार प्रमुख श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया। इसके साथ ही 29 पुराने कानूनों को प्रभावी रूप से एक अधिक सुसंगत ढाँचे में समाहित कर दिया गया। यह एक स्वागत योग्य कदम है

लंबे समय से प्रतीक्षित और हाल के वर्षों में सबसे प्रतीक्षित सुधारों में से एक है। परिभाषाओं को सरल बनाकर, डिजिटल अनुपालन को सक्षम बनाकर और पंजीकरण एवं निरीक्षणों को सुव्यवस्थित करके, ये नई संहिताएं लालफीताशाही को कम करती हैं, कानूनी अनिश्चितता को कम करती हैं और व्यापार करना, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए,आसान बनाती हैं।

वेतन संहिता एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करके एक बड़ा बदलाव लाती है।

इससे पहले, न्यूनतम वेतन केवल राज्यों के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता था और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। यह संहिता न्यूनतम वेतन को सभी क्षेत्रों तक विस्तारित करती है और पहले की उस व्यवस्था का स्थान लेती है जो केवल अनुसूचित रोजगारों की एक सूची पर लागू होती थी। पुराने ढाँचे के अंतर्गत, निजी सुरक्षा, कुरियर और देखभाल सेवाओं जैसे कई व्यवसायों को अक्सर अलग-अलग राज्य अनुसूचियों से बाहर रखा जाता था। यह सुधार कवरेज को सार्वभौमिक बनाकर और एक बाध्यकारी न्यूनतम वेतन स्थापित करके, श्रमिकों के लिए आय सुरक्षा को मजबूत करता है, साथ ही नियोक्ताओं के लिए श्रम लागत में अधिक पूर्वानुमान प्रदान करता है, जिससे अधिक निष्पक्ष औद्योगिक संबंध और अधिक सूचित व्यावसायिक योजना दोनों को समर्थन प्राप्त होता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता नौ पुराने कानूनों को एक साथ लाती है और पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों को भी कवरेज प्रदान करती है। इसमें निश्चित अवधि के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो अब स्थायी कर्मचारियों के समान आनुपातिक ग्रेच्युटी और लाभ के हकदार हैं। यह संहिता गिग और प्लेटफ़ॉर्म जैसे गैर-पारंपरिक कार्य रूपों को मान्यता देकर, भारत के श्रम बाजार की बदलती वास्तविकताओं को दर्शाती है। ये बदलाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शोध में लगातार पाया गया है कि सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच से श्रमिक कल्याण में सुधार होता है, साथ ही उत्पादकता बढ़ती है, अनुपस्थिति कम होती है और कर्मचारियों को बनाए रखने में सुधार होता है। इन मानकों को अपनाने वाली कंपनियां प्रतिष्ठा संबंधी लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं और पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन ईएसजी लक्ष्यों को प्राथमिकता देने वाली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अधिक आसानी से जुड़ सकती हैं।

ओएसएचडब्ल्यू संहिता कार्यस्थल कल्याण और सुरक्षा के दायरे का उल्लेखनीय विस्तार करती है। यह वार्षिक स्वास्थ्य जांच 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए और कैंटीन, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और क्रेच जैसी कल्याणकारी सुविधाओं को अनिवार्य बनाती है, जिससे ये आवश्यकताएं व्यापक प्रतिष्ठानों तक विस्तारित होती हैं। ये प्रावधान कारखाना अधिनियम जैसे पूर्ववर्ती कानूनों की तुलना में स्पष्ट सुधार दर्शाते हैं, जिनका कार्यान्वयन असमान रूप से किया जाता था और जो मुख्य रूप से कारखानों पर लागू होते थे। इसके साथ ही, यह संहिता नियोक्ताओं के लिए अधिक सुगमता भी प्रदान करती है। मसौदा प्रावधान राज्य सरकारों को श्रमिकों की सहमति के अधीन, अनुमेय ओवरटाइम घंटों की सीमा निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। कई राज्यों ने तब से तिमाही ओवरटाइम सीमा को 75 घंटों से बढ़ाकर 125 या 144 घंटे कर दिया है, जबकि ओवरटाइम कार्य के लिए दोगुना वेतन अनिवार्य कर दिया है। निश्चित रूप से, इन प्रावधानों को व्यवहार में सार्थक बनाने के लिए प्रभावी प्रवर्तन और यह सुनिश्चित करना कि सहमति स्वैच्छिक बनी रहे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी, जब इन्हें मज़बूत श्रम सुरक्षा के साथ लागू किया जाता है, तो ऐसे उपाय दोनों पक्षों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते है श्रमिकों के लिए अधिक आय की संभावना और फर्मों के लिए अधिक परिचालन सुगमता प्रदान करना।

औद्योगिक संबंध संहिता, छंटनी और बंद करने के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक करके, कार्यबल प्रबंधन में अधिक सुगमता लाती है।

इससे कंपनियों को आवश्यक कर्मचारी सुरक्षा बनाए रखते हुए, बदलती बाजार स्थितियों के साथ अधिक आसानी से तालमेल बिठाने में सहायता मिलती है। दीर्घावधि में, ऐसी सुगमता औपचारिक रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि कंपनियों द्वारा भर्ती से बचने या कानूनी सीमाओं से नीचे रहने की संभावना कम होती है। इन बाधाओं को कम करके, जैसा कि कई अध्ययनों द्वारा समर्थित है, यह संहिता औपचारिक रोज़गार की ओर बदलाव का समर्थन करती है, जिससे कर्मचारियों को विनियमित कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार स्थिरता तक बेहतर पहुँच मिलती है, साथ ही व्यवसायों को अधिक कुशलता से बढ़ने में सहायता मिलती है। पुरानी ''इंस्पेक्टर-राज'' व्यवस्था से ''इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर'' मॉडल में बदलाव, सहयोगात्मक, तकनीक-संचालित अनुपालन की ओर एक कदम है। जोखिम-आधारित, डिजिटल निरीक्षण मनमानी को कम करते हैं और भारत के श्रम ढांचे को वैश्विक मानकों के करीब लाते हैं। उद्योग जगत ने इस बदलाव का स्वागत किया है, क्योंकि इससे कागजी कारवाई कम होगी, ओवरलैप कम होंगे और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। श्रम सुविधा जैसे एकीकृत पोर्टल के साथ, अनुपालन अब सरल और अधिक पारदर्शी है। हालांकि कुछ लोग कमज़ोर प्रवर्तन को लेकर चिंतित हैं, लेकिन निरीक्षणों को समाप्त नहीं किया गया है बस उन्हें अधिक लक्षित, कम दखलंदाज़ी और अधिक पारदर्शी बनाया गया है, जिससे दक्षता और उत्तरदायित्व दोनों में सुधार हुआ है।

अंततः, गैर-मानक रोज़गार रूपों की औपचारिक मान्यता एक दूरदर्शी -दृष्टकोण का संकेत देती है। हालांकि गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को अभी तक पूर्ण कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है और इसलिये उन्हें सामूहिक सौदेबाजी या न्यूनतम वेतन गारंटी जैसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, फिर भी सामाजिक सुरक्षा ढांचे में उनका समावेश अधिक समावेशी श्रम विनियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम है।

कुल मिलाकर, नई श्रम संहिताएं भारत के कार्यस्थल कानूनों को आज की अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा करते हुए व्यवसायों के लिए विकास और औपचारिक रूप से नियुक्तियां करना आसान बनाकर एक संतुलन बनाना है। हालाँकि, असली परीक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि ये सुधार राज्यों में कितनी सुचारू और निरंतर रूप से लागू होते हैं। अगर इन्हें अच्छी तरह से लागू किया जाये, तो ये अनुपालन को सरल बना सकते हैं, कार्य स्थितियों में सुधार ला सकते हैं और भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर, ये बदलाव भारत को एक अधिक आसान, निष्पक्ष और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के अपने लक्ष्य के और करीब ले जाते हैं।

एचआईवी रोकथाम में भारत की रणनीति बनी विश्व-नेतृत्व का आधार

शिमला। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसम्बर को एचआईवी/एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने, इससे प्रभावित लोगों का समर्थन करने और संक्रमण से संबंधित मृत्यु के प्रति वैश्विक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम **'व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार'** है, जो महामारी, संघर्ष और असमानताओं से उपजे व्यवधानों को दूर करते हुए अधिक मजबूत, न्यायसंगत और समुदाय -नेतृत्वित स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर बल देता है।

भारत ने वर्ष 1988 में इसकी शुरुआत से अब तक जागरूकता, नीतिगत सुधार, और स्वास्थ्य संरचना सुदृढ़ीकरण के माध्यम से इस वैश्विक अभियान को नये आयाम दिये हैं। नाको (NACO) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेतृत्व में देशभर में व्यापक कार्यक्रम, आउटरीच गतिविधियां और मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारत की उपलब्धियां विश्व के लिये एक मॉडल

भारत का एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर एक सफलता की कहानी के रूप में सराहा गया है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

➪ एचआईवी संबंधित मौतों में 81.40% की भारी कमी

➪ 2010 की 1.73 लाख मौतें घटकर 2024 में 32,200 रह गई।

➪ 18 लाख से अधिक PLHIV को मुफ़्त एआरटी (ART) उपलब्ध।

➪ 94% एआरटी रिटेंशन तथा 97% वायरल सप्रेशन दर, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों से बेहतर है।

➪ भारत वैश्विक एआरटी दवाओं की 70% आपूर्ति करता है- किफ़ायती जेनेरिक दवाओं के चलते।

➪ 2024 में वैश्विक एड्स मृत्यु (6,30,000) की तुलना में भारत का योगदान केवल 5%, जो मजबूत स्वास्थ्य ढांचे की सफलता को दर्शाता है।

➪ उपलब्धियां UNAIDS के 95-95-95 लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

मजबूत नीतिगत ढांचा

भारत का एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 एक ऐतिहासिक कदम है, जो:

➪ पीएलएचआईवी (HIV के साथ रहने वाले लोगों) के अधिकारों की रक्षा करता है,

➪ भेदभाव पर रोक लगाता है

➪ गोपनीयता सुनिश्चित करता है

➪ उपचार और परीक्षण में सहमति के सिद्धांत को अनिवार्य बनाता है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACP): पांच चरणों की यात्रा

NACP-I (1992-1999)

➪ पहली बार व्यापक राष्ट्रीय रणनीति लागू।

➪ उद्देश्य: संक्रमण को धीमा करना और मृत्यु दर कम करना।

NACP-II (1999-2006)

➪ प्रसार रोकने और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर जोर।

NACP-III (2007-2012)

➪ लक्ष्य: 2012 तक महामारी को रोकना और उलटना।

➪ जिला स्तर तक कार्यक्रम विस्तारित, DAPCU इकाइयों का गठन।

➪ रोकथाम, देखभाल और उपचार का एकीकरण।

NACP-IV (2012-2017, बढ़ाया गया 2021-2030)

➪ नई संक्रमणों में 50% कमी का लक्ष्य।

➪ 'टेस्ट एंड ट्रीट' नीति लागू।

➪ मिशन संपर्क: फॉलो-अप से बाहर हुए रोगियों को फिर से उपचार से जोड़ना।

➪ भेदभाव रोकने के लिए एचआईवी अधिनियम लागू।

NACP-V (2021-2026)

➪ व्यय: 15,471 करोड़ रुपये।

➪ लक्ष्य: 2030 तक भारत में एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना।

NACP-V की प्रमुख रणनीतियां

1. नए संक्रमणों में कमी के लिए

➪ उच्च जोखिम समूहों के लिए समुदाय-नेतृत्वित कार्यक्रम।

➪ नशीली दवाओं का सेवन, जेल व बंद केंद्रों में विशेष हस्तक्षेप।

➪ किशोरों और युवाओं के लिए व्यवहार परिवर्तन संवाद।

2. एड्स से संबंधित मृत्यु दर में कमी

➪ HIV परीक्षण सेवाओं का विस्तार।

➪ उच्च गुणवत्ता वाली ।त्ज और तेज उपचार शुरूआत।

➪ वायरल लोड की नियमित निगरानी।

3. मां से बच्चे में संक्रमण समाप्त करना

➪ HIV + सिफलिस डुअल टेस्टिंग किट का विस्तार।

➪ गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग और ART से जोड़ना।

4. सार्वभौमिक STI/RTI सेवाएं

➪ DSR क्लीनिकों को मजबूत करना।

➪ निजी क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में समन्वय बढ़ाना।

5. कलंक और भेदभाव में कमी

➪ समुदाय आधारित निगरानी।

➪ एचआईवी अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर लोकपाल नियुक्ति (34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में)।

➪ सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशीलता अभियान।

देशव्यापी जागरूकता अभियान

➪ मल्टीमीडिया और डिजिटल अभियान

➪ नाको के माध्यम से टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, सार्वजनिक संचार सामग्री।

➪ युवाओं और समुदायों तक व्यापक पहुंच।

जमीनी स्तर पर गतिविधियां

➪ आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, एसएचजी आदि का प्रशिक्षण।

➪ व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक सहभागिता पर बल।

लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं

➪ 2025 तक 1,619 TI प्रोजेक्ट सक्रिय।

➪ उच्च जोखिम समूहों के लिए रोकथाम और उपचार सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित।

निष्कर्ष

भारत की एड्स नियंत्रण यात्रा नीतिगत मजबूती, नवाचार, समुदाय-आधारित प्रयासों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का उत्कृष्ट उदाहरण है। एचआईवी/एड्स से होने वाली मौतों में अभूतपूर्व गिरावट, मुफ्त एआरटी तक व्यापक पहुंच और भेदभाव के खिलाफ मजबूत कानूनी ढांचे ने भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी स्थान दिलाया है।

भारत अब तेजी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जहां वर्ष 2030 तक एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त किया जा सके।

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपये जारी मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्राम पंचायत तंगरोटी में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के दौरान जन शिकायतें सुनीं और कई

विकासात्मक घोषणाएं कीं। उन्होंने स्थानीय महिला मंडलों को एक-एक लाख रुपये देने, तंगरोटी क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के निर्माण व टारिंग हेतु धनराशि जारी करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के बाद यहां कई पर्यटन परियोजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 51 रुपये और भैंस के दूध का 61 रुपये प्रति लीटर तय किया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी के लिए भी समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं। सरकार युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश 99.30 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। प्रदेश अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश में 5वें स्थान पर पहुच गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शिमला और टांडा में शुरू की गई है तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में 28 करोड़ रुपये की पैट स्कैन मशीन स्थापित की जा रही है।

कार्यक्रम में कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी ने कहा कि सरकार जनता तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि तंगरोटी में दूध संग्रहण केंद्र का विस्तार किया जाएगा।

कार्यक्रम में वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, महापौर नीनू शर्मा, एपीएमसी अध्यक्ष निशु मोंगरा समेत कई अधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नई श्रम संहिताओं से कामकाजी वर्ग को मिलेगी बेहतर आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा

शिमला/शैल। केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी, शिमला ने राजकीय आईटीआई समरहिल में प्रशिक्षुओं के शोषण रोकने में सहायक सिद्ध होंगी।

कार्यक्रम में सीबीसी के सहायक निदेशक प्रकाश पंत ने स्वागत भाषण

लिए नई लागू चार श्रम संहिताओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आईटीआई प्राचार्य इंजीनियर कार्तिक ठाकुर और हिमाचल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. संयोगिता ठाकुर ने किया।

मुख्य वक्ता डॉ. संयोगिता ठाकुर ने कहा कि नई श्रम संहिताएं कामकाजी वर्ग, विशेषकर महिलाओं, के लिए अधिक सुरक्षित और समान कार्य वातावरण सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने कहा कि इन संहिताओं से महिलाओं को बराबरी का वेतन, सुरक्षित रात्रिकालीन कार्य वातावरण और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

प्राचार्य कार्तिक ठाकुर ने कहा कि नई श्रम संहिताएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित करने और श्रमिक

दिया और प्रतिभागियों के बीच क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। पीआईबी शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा, आईटीआई स्टाफ, सीबीसी टीम और बड़ी संख्या में प्रशिक्षु उपस्थित रहे। इस अवसर पर संगीत एवं नाटक विभाग के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम सहिताए वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता 2020लागू की हैं, जो 29 पुराने श्रम कानूनों का स्थान लेंगी। नई व्यवस्था श्रम क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगी।

शरद ऋतु व आगामी सर्दियों को लेकर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक

सभी विभागों को अग्रिम तैयारी के निर्देश, आपदा प्रबंधन पर विशेष जोर

शिमला/शैल। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने शरद ऋतु और आगामी सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा

जिले के धर्मशाला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि भारी बर्फबारी और बारिश की संभावित परिस्थितियों को देखते हुए सभी विभाग समय रहते पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि बर्फबारी की स्थिति में मशीनरी, जनशक्ति और आवश्यक संसाधनों की अग्रिम तैनाती जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके और जनता को असुविधा न उठानी पड़े। उन्होंने प्रत्येक विभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, जो सर्दियों से जुड़े सभी कार्यों और समन्वय की निगरानी करेंगे।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों को सरल भाषा में और समय पर जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए।

संजय गुप्ता ने कहा कि सर्दियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, विशेषकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। उन्होंने संवेदनशील स्थानों की पहचान कर आग से सुरक्षा की मजबूत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही अग्निशमन विभाग को जागरूकता अभियान तेज करने और अस्पताल, कार्यालय, विद्यालय सहित सभी महत्त्वपूर्ण भवनों के फायर ऑडिट को प्राथमिकता देने को कहा।

मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को राहत सामग्री पहले से पर्याप्त मात्रा में जमा करने को कहा। उन्होंने बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ईंधन, खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी अग्रिम स्टॉक रखने पर बल दिया।

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को निर्देश दिए कि वे अपने कर्मचारी और मशीनरी ऐसे स्थानों पर पहले से तैनात करें, जहां बर्फबारी की स्थिति में तत्काल बहाली का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने संयुक्त प्रतिक्रिया टीम बनाने की आवश्यकता भी बताई, जिससे सभी विभागों के बीच समन्वय बेहतर हो सके।

इसके अलावा बिजली लाइनों की अग्रिम मरम्मत, अस्पतालों एवं संचार नेटवर्क के लिए बैकअप पावर सुनिश्चित करने तथा पर्यटन स्थलों के लिए विशेष शीतकालीन यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अवगत करवाया गया कि प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों में आपात स्थिति से निपटने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीसैट सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मुख्य सचिव ने अंत में जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव दलों को सतर्क रखने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कैप्टन अतुल शर्मा के समर्थन में उतरी ब्राह्मण सभा

प्रदेशाध्यक्ष ने अजय श्याम के बयान को सनातन आस्था पर आघात बताया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा ने पूर्व विधायक अजय श्याम के विवादित बयान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। सभा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित मनमोहन गौतम ने इसे 'सनातन धर्म, परंपरा और आस्था पर सीधा आघात' बताया।

उन्होंने कहा कि पितृ दान जैसे धार्मिक अनुष्ठान पर टिप्पणी अज्ञानता का परिचायक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने आमजन से देवभूमि की सौहार्दपूर्ण परंपरा को बनाए रखने की अपील की।

कैप्टन अतुल शर्मा ने ब्राह्मण सभा के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा कि धर्म और परंपराओं पर तंज कसना राजनीतिक स्वार्थ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी करना 'हेट स्पीच' की श्रेणी में आता है, और राजनीतिक वर्ग की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता में ब्राह्मणों का योगदान सदियों से महत्वपूर्ण रहा है और इस विरासत को कमतर आंकने के प्रयास स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कैप्टन शर्मा ने कहा कि राजनीतिक धूर्तता व दुष्प्रचार को बेनकाब किया जाएगा। समुदायों पर निराधार हमले न समाज के लिए उचित हैं और न ही राजनीति के लिए।

मुख्य खाते से UPI भुगतान बढ़ा रहा है डिजिटल फ्रॉड का खतरा एयरटेल एमडी का अलर्ट

शिमला/शैल। देश में डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर एयरटेल

के वाइस चेयरमैन एवं एमडी गोपाल विट्टल ने उपयोगकर्ताओं को सतर्क किया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग हर प्रकार के डिजिटल भुगतान अपने मुख्य बैंक खाते से करते हैं, जिससे छोटी-सी गलती भी पूरी बचत को जोखिम में डाल सकती है।

विट्टल ने ग्राहकों को लिखे पत्र में बताया कि फर्जी पार्सल, पुरस्कार का लालच, डिजिटल गिरफ्तारी का डर और नकली लिंक जैसे तरीकों से ऑनलाइन ठगी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एयरटेल एआई आधारित स्पैम कॉल और मैसेज अलर्ट उपलब्ध कराने वाला पहला टेल्को है, और कंपनी ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो फर्जी लिंक क्लिक होने पर भी उसे ब्लॉक कर देती है।

उन्होंने सुझाव दिया कि उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान के लिए एक सेकंड बैंक अकाउंट का उपयोग करें, जिससे मुख्य बैंक खाता सुरक्षित रह सके। इसके विकल्प के रूप में एयरटेल पेमेंट्स बैंक को सुरक्षित और सुविधाजनक बताया गया है, जिसमें कम राशि रखने पर भी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी और जमा धन पर ब्याज भी मिलेगा।

कंपनी के अनुसार ग्राहक कुछ ही मिनटों में एयरटेल थैंक्स ऐप पर KYC पूरा करके नया खाता खोल सकते हैं और रोजमर्रा के सभी डिजिटल लेनदेन इसी खाते से कर सकते हैं।

आईआईआईटी ऊना को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत 1,000 अभ्यर्थियों को डेटा एनालिसिस विथ पाइथन एंड एसक्यूएल में प्रशिक्षण देने की मंजूरी

शिमला/शैल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईआईटी ऊना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत 1,000 अभ्यर्थियों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति मिली है। यह प्रशिक्षण डेटा एनालिसिस विथ पाइथन एंड एसक्यूएल जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्र पर आधारित होगा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा पूर्णतः प्रायोजित है।

पीएमकेवीवाई 4.0 का यह कार्यक्रम उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके तहत युवाओं को अल्पावधि में निःशुल्क, व्यावहारिक और नौकरी-केंद्रित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के अनुरूप यह कोर्स डेटा साइंस और एनालिटिक्स क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करेगा।

कोर्स के अंतर्गत छात्रों और स्थानीय युवाओं को पाइथन प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल डेटाबेस प्रबंधन और डेटा विश्लेषण से जुड़े उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस स्वीकृति में आईआईआईटी ऊना के निदेशक प्रो. मनीष गौर की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के साथ संस्थान के प्रयासों का नेतृत्व किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर डॉ. गुरप्रीत कौर स्वीकृति प्रक्रिया और आगामी संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाएंगी। उन्हें इस पहल में डॉ. जसप्रीत कौर का सहयोग मिलेगा।

संस्थान का कहना है कि यह कार्यक्रम ऊना सहित आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। स्थानीय छात्र नई तकनीकों से जुड़े कौशल प्राप्त कर बेहतर रोज़गार के लिए तैयार होंगे और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे।

आईआईआईटी ऊना ने कहा कि यह मंज़ूरी युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कौशल आधारित शिक्षा के विस्तार के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्थान जल्द ही प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेगा, जिससे छात्र और स्थानीय समुदाय सरकारी सहायता प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकास का लाभ उठा सकेंगे।

मंडी में 11 दिसंबर को होगा आत्मनिर्भर हिमाचल जन संकल्प सम्मेलन: अनिरुद्ध सिंह

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी में 11 दिसंबर को प्रस्तावित आत्मनिर्भर हिमाचल जन संकल्प सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान ग्राम एवं नगर नियोजन तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और विधायक चंद्रशेखर भी उपस्थित रहे। मंत्रीमंडल ने पड्डल मैदान में जाकर सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया।

उपायुक्त कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर, 2025 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इसी अवसर पर आयोजित जन संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री आगामी दो वर्षों के लिए आत्मनिर्भर हिमाचल का विज़न प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध पूरी की जाएं।

मंत्री ने लाभार्थियों के परिवहन, ठहराव और भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग और वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को भी कहा। सम्मेलन स्थल पर बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय

व डस्टबिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए नुक्कड़-नाटक तथा एंटी चिट्टा अभियान पर आधारित जागरूकता प्रस्तुतियां भी शामिल की जाएंगी।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने अन्य जिलों से आने वाले लाभार्थियों के आवागमन और पार्किंग प्रबंधन से जुड़े आवश्यक निर्देश दिए। विधायक चंद्रशेखर ने भी अपने सुझाव साझा किए और विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि आयोजन के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं और समितियों का गठन किया जा रहा है। बैठक में राज्य जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, एपीएमसी मंडी चेयरमैन संजीव गुलेरिया, निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के सदस्य विजय पाल, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

श्रमवीरों के सम्मान को मजबूती देंगी नई श्रम संहिताएं :अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार नई श्रम संहिताओं को श्रमवीरों के कल्याण और आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रम कानूनों का यह व्यापक सुधार श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और आधुनिक कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य संहिताचारों श्रम संहिताएँ न केवल श्रमिकों के अधिकार मजबूत करती हैं बल्कि संगठित, असंगठित और गिग वर्कर्स तक सभी के लिए सुरक्षा और समय पर वेतन सुनिश्चित करती हैं। उनका कहना था कि 'नए भारत में श्रमिक मजबूर नहीं, मजबूत बनेइसी लक्ष्य के साथ यह सुधार लागू किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नई संहिताओं में समय पर वेतन, नियुक्ति पत्र का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान, एक वर्ष में ग्रेच्युटी, पक्के कर्मचारी जैसे हक, ट्रांसजेंडर को शामिल करते हुए लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना, परिवार के दायरे का विस्तार, मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इंस्पेक्टर राज समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

अनुराग ठाकुर के अनुसार इन संहिताओं से जहां श्रमिकों का शोषण रुकेगा और सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं उद्योगों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत मिलेगी, जिससे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म हिमाचल पर्यटन के लिए वरदान साबित होगा:सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। संसद के सत्र के पहले दिन ही शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप द्वारा पूछे गये अताराकित प्रश्न संख्या 139 के लिखित उत्तर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित संशोधित 'अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म' देश के पर्यटन क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पर्यटन मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्लेटफॉर्म भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन, पाक-कला, हस्तशिल्प, वेलनेस और ग्रामीण पर्यटन जैसे विविध आयामों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। अत्याधुनिक एआई-आधारित तकनीक से लैस यह पोर्टल पर्यटकों को मौसम, मार्गदर्शन, शहर-विशेष विवरण और यात्रा सेवाओं की रीयल-टाइम जानकारी प्रदान करेगा।

मंत्रालय के अनुसार, प्लेटफॉर्म देश की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से भी एकीकृत है। इसके माध्यम से यात्री उड़ानें, होटल, टैक्सी, बस सेवा तथा एएसआई के स्मारकों के टिकट एक ही स्थान से आसानी से बुक कर सकेंगे, जिससे यात्रा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक होगी।

इस पहल पर प्रतिक्रिया देते हुये सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन-प्रधान राज्य के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के प्रमुख और उभरते पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर नई पहचान मिलेगी और पर्यटकों का आवागमन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इससे होटल, टैक्सी, होम-स्टे, ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय उद्यमियों को सीधा लाभ होगा। साथ ही सुरक्षित और सुगम यात्रा व्यवस्था से पर्यटक अनुभव भी बेहतर होगा। ग्रामीण पर्यटन और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में यह प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सांसद कश्यप ने केंद्र सरकार और पर्यटन मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म' हिमाचल के पर्यटन विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा।

हिमाचल के किसान गुजरात में सीखेंगे उन्नत प्राकृतिक खेती

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के बसंतपुर ब्लॉक के 18 किसान प्राकृतिक खेती की उन्नत तकनीकों का अध्ययन करने के लिए गुजरात

एक्सपोज़र विजिट पर रवाना हुये। आईएसबीटी शिमला से परियोजना निदेशक डी.सी.कश्यप ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस एक्सपोज़र विजिट का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती की आधुनिक अवधारणाओं, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और क्षेत्रीय स्तर पर लागू होने वाली व्यवहारिक तकनीकों से अवगत कराना है। किसान सलाहकार समिति, बसंतपुर के अध्यक्ष बेसरदास हरनोट ने सरकार और विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान गुजरात से सीखकर अपने क्षेत्र में इस मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाएंगे।

परियोजना निदेशक कश्यप ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए सरकार की विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं की जानकारी साझा की। दौरे के दौरान किसान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर, कृषि विज्ञान केंद्र, अहमदाबादतथा सोमनाथ कृषि विज्ञान केंद्र, पोरबंदर का अवलोकन करेंगे। यहां वे प्राकृतिक खेती के मॉडल, मिट्टी संरक्षण तकनीक, पशुपालन प्रबंधन, जैविक संसाधनों के उपयोग और आधुनिक कृषि पद्धतियों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।

यह एक्सपोज़र विजिट हिमाचल के किसानों के लिए कौशल विकास और तकनीकी ज्ञान विस्तार का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

विदेशी रोजगार में हिमाचल की बड़ी पहल यूएई में 300 युवाओं को मिलेगा काम

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल सरकार के प्रयासों से युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर एचपीएसईडीसी के माध्यम से यूएई की नून फूड एलएलसी के लिए 300 डिलीवरी राइडर्स की भर्ती शुरू की गई है।

29 नवम्बर 2025 तक इच्छुक पुरुष उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित युवाओं को 2500 दिरहम वेतन, कमीशन व टिप के साथ 70,000 से 1,00,000 रुपये तक की आय होगी।

योग्यता के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 20-37 वर्ष, न्यूनतम शिक्षा 10वीं बेसिक इंग्लिश का ज्ञान और गियर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम एक वर्ष तक वैध होना चाहिए। चेहरे या गर्दन पर टैटू स्वीकार्य नहीं होंगे और रंग-अंधता भी मान्य नहीं है।

तैनाती के बाद उम्मीदवारों को

यूएई ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा जिसके लिए 5,500 दिरहम शुल्क लिया जाएगा। बिना वैध पासपोर्ट वाले उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकेंगे।

भर्ती अभियान दिसंबर के पहले सप्ताह में विभिन्न जिलों में आयोजित होगा। विस्तृत जानकारी स्थानीय श्रम एवं रोजगार कार्यालय और एचपीएसईडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नशा मुक्त हिमाचल, सुरक्षित हिमाचल विषय पर संगोष्ठी आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस ने 'नशा मुक्त हिमाचल, सुरक्षित हिमाचल' विषय पर

एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम का संयोजन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. मलकीयत सिंह ने किया।

संगोष्ठी में डीजीपी अशोक तिवारी, आईजीपी विमल गुप्ता, डीआईजी सुश्री सौम्या संबासिवन, और आईपीएस अधिकारी सुश्री आकृति शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

आईपीएस आकृति शर्मा ने छात्रों से नशा निवारण और करियर निर्माण पर चर्चा करते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने का आहवान किया। डीआईजी सौम्या संबासिवन ने कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य मजबूत संकल्प के साथ चुनने चाहिए तथा अध्यापकों को समाज का सच्चा रोल मॉडल बताया।

अध्यक्षीय संबोधन में डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि चिटा जैसी गंभीर समस्या को रोकने के लिए जनता और पुलिस का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संदेश दिया।

सत्र में विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने नशा निवारण, करियर और सामाजिक मुद्दों पर प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वाणिज्य, प्रबंधन, योग, पर्यटन, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, डोगरी और शिक्षा विभागों के लगभग 170 विद्यार्थी/शोधार्थी उपस्थित रहे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

वर्ल्ड बैंक फंडिंग पर उठे सवाल 587 करोड़ आये, कंपनी को सिर्फ 250 करोड़:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित शिमला की पेयजल और सीवरेज परियोजना में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार स्पष्ट बताये कि जारी हुआ पैसा आखिर गया कहां। उन्होंने दावा किया कि वर्ल्ड बैंक 587 करोड़ रुपये जारी कर चुका है, परन्तु कंपनी तक केवल 250 करोड़ रुपये ही पहुंच पाये हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की इस कथित लापरवाही से शिमला को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने वाली महत्त्वपूर्ण सतलुज पेयजल योजना की रफ्तार प्रभावित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से समय पर भुगतान न होने से कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही है, जिसका सीधा असर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन पर पड़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व सरकार के समय स्वीकृत 1825 करोड़ रुपये की इस परियोजना में पहले चरण में सतलुज से पानी लाने, दूसरे चरण में शहर में नई पाइपलाइन और टैंकों के निर्माण तथा तीसरे चरण में सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य शामिल था।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार वर्ल्ड बैंक से प्राप्त राशि को दबाकर बैठी है, जिससे पूरी परियोजना प्रभावित हो रही है। जयराम ने कहा कि सरकार के पास से ढाई सौ करोड़ रुपये से अधिक गायब हो जाना गंभीर सवाल खड़े करता है।

जयराम ठाकुर ने प्रदेश में नशे के ओवरडोज़ से हो रही मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के महीनों में दर्जनों युवाओं की जान गई है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या महामारी की तरह फैल रही है, लेकिन सरकार केवल इवेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट तक सीमित है।

उन्होंने आरोप लगाया कि निजी पुनर्वास केंद्रों में इलाज की जगह मारपीट और कुप्रबंधन की शिकायतें सामने आ रही हैं। 'देवभूमि में चिट्टे के लिये कोई स्थान नहीं है,' उन्होंने कहा और नशे के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की।

संजौली में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम सुनने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिला कबड्डी टीम और ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की सराहना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट में हिमाचल की बेटियों का योगदान विशेष रूप से प्रेरणादायक है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेड इन इंडिया-मेड फॉर वर्ल्ड' जैसे अभियान विकसित भारत की नींव हैं।

उन्होंने लोगों से आहवान किया कि स्थानीय उत्पादों को अपनाकर न केवल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत किया जा सकता है, बल्कि कारीगरों और छोटे व्यापारियों की आजीविका भी सुरक्षित की जा सकती है।

विधानसभा छोड़ सड़क पर सरकार बिंदल ने उठाए सवाल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा सत्र छोड़ सड़क पर उतरकर धरना देने को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और सत्तापक्ष विधायक द्वारा तख्तियां लेकर नारेबाज़ी करना लोकतांत्रिक परंपराओं के लिये गंभीर और अभूतपूर्व स्थिति है।

बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तीन वर्षों में प्रशासनिक अव्यवस्था, आर्थिक संकट और कर्ज़ के बोझ से प्रदेश को दुर्दशा की ओर ले गयी है। उन्होंने कहा कि जब वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, उसी समय सरकार का स्वयं सड़क पर उतरना नैतिक अधिकार खोने जैसा है।

भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि सरकार कर्ज़, राजनीतिक नियुक्तियों और माफिया संरक्षण पर टिकी है और जनता के सवालों से बचने के लिए भाजपा तथा प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब संघ को निशाना बनाकर अपनी विफलताओं को ढकने की कोशिश कर रही है।

बिंदल ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की झुंझलाहट हिमाचल में सड़क पर किए जा रहे प्रदर्शनों में दिख रही है।

चुनाव टालने के बहाने बंद करे सरकार:रणधीर शर्मा

शिमला/शैल। भाजपा विधायक और नैना देवी से वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा ने विधानसभा में नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये प्रदेश सरकार पर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार ऐसे ब्यान और कदम उठा रही है, जिनसे साफ झलकता है कि वह संभावित हार के डर से चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना चाहती है।

शर्मा ने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा 24 मई से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकने के लिए सचिव स्तर से पत्र जारी किये गये, जो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में सीधी दखलअंदाजी है। उन्होंने बताया कि 11 और 22 जुलाई को जारी निर्देशों में आरक्षण प्रक्रिया रोके जाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2024 में गठित नई शहरी निकायों के चुनाव छः महीने के भीतर होने थे, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाकर इन्हें दो वर्ष के लिये टाल दिया। वहीं पुरानी निकायों के चुनाव अनिश्चितकाल के लिये लटके हुये हैं। मतदाता सूची प्रकाशन से लेकर बैलेट पेपर उठाने से इन्कार तक सरकार हर स्तर पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है।

शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पंचायतों और निकायों के पुनर्गठन को राजनीतिक आधार पर कर रही है। 600 वोटों की पंचायत और 2500 वोटों की पंचायत एक समान कैसे हो सकती है? उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के रोक आदेश के बावजूद सरकार ने 24 नवम्बर को कैबिनेट में रिऑर्गेनाइजेशन का फैसला लेकर निष्पक्षता पर चोट पहुंचाई है।

उन्होंने कहा कि सरकार आपदा एक्ट का हवाला देकर चुनाव टाल रही है, जबकि स्कूल, आंगनबाड़ी और सरकारी कार्यक्रम सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा राहत फंड का उपयोग सरकार अपने राजनीतिक आयोजनों के लिये कर रही है।

शर्मा ने कहा कि संविधान दिवस मनाने वाली सरकार खुद संविधान विरोधी आचरण कर रही है, क्योंकि पंचायतों और निकायों के लिए समय पर चुनाव करवाना संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही प्रक्रियाओं को रोककर स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है।

उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि निकाय और पंचायत चुनाव कब कराये जाएंगे और ओबीसी आरक्षण सहित अन्य बहानों के पीछे छिपना बंद करे। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता की आवाज बनकर चुनाव समय पर कराने की लड़ाई लड़ेगी।

हिमाचल को प्रधानमंत्री द्वारा

......पृष्ठ 1 का शेष

पैकेज से आवंटित किये गये।

वर्ष 2025 में 23 मामलों में 21,52,500 रुपये (SDRF/NDRF) तथा 44,97,500 रुपये विशेष राहत पैकेज के तहत जारी किये गये।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में बागी, बाऊंह और सरयू नामक कोई गांव अस्तित्व में नहीं हैं।

वन, पशु, रोगी और बिजली

......पृष्ठ 1 का शेष

में भी नियमित सेवा का प्रावधान नहीं है। सरकार ने बताया कि पशु मित्रों की भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है।

स्वास्थ्य विभाग में रोगी मित्रों की संभावित भर्ती से जुड़ा प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय अब तक नहीं लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्रों को आउटसोर्स आधार पर रखा जा रहा है। बोर्ड ने भी स्पष्ट किया है कि इन पदों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है और चयन प्रक्रिया जारी है।